चैक बाउंस मामले में भी हुआ सुलह, दोनों ने खत्म किया आपसी बैर

चरित्र शंका में अलग हुए थे पति-पत्नी लोक अदालत में मिले और एक हुए

अक्षरविश्व न्यूज. शाजापुर

वर्ष 2013 में उसका विवाह हिन्दु रीति रीवाज से अभियुक्त से हुआ था जबसे वह अपने ससुराल में ही रहती है। उसके पति से फरियादिया को दो संतान है। जिनकी उम्र 6 एवं 3 वर्ष है।

30 मार्च 2022 को रात्री करीब 10 बजे फरियादिया को घर का दरवाजे को खटखटाने की आवाज आई तो फरियादिया समझी की उसके पति ने दरवाजा खटखटाया होगा, तो फरियादिया ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के सामने उसके गांव का अन्य व्यक्ति खड़ा था। फरियादिया के पति ने गांव के अन्य व्यक्ति को पीछे से धक्का देकर घर के अन्दर धकेल दिया व खुद भी अन्दर आ गया और अन्दर से ताला लगा लिया ओर बोला की तुने ही इसे बुलाया है। फरियादिया व अन्य व्यक्ति को अश्लील गालियां देने लगा ओर फरियादिया के साथ मारपीठ की। घटना के बाद फरियादिया ने अपने परिवार के लोगो के साथ थाने पर आकर रिपोर्ट की। जिस पर उक्त मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चरित्र शंका के कारण विवाद होने से पति पत्नी अलग हुए थे ओर मामला न्यायालय में विचाराधीन था। जिसे नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए रखा गया और दोनों पक्ष न्यायाधीश डाक्टर स्वाति चौहान की समझाइश पर साथ रहने को राजी हुए। दूसरा मामला जो नेशनल लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से निराकृत हुआ उसका विवरण यह है कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रट प्रथम श्रेणी आदिल अहमद खान के समक्ष एक प्रकरण धारा 138 एन. आई एक्ट चौक बाउस का वर्ष जनवरी 2022 से लंबित था आवेदक शेलेन्द्र वर्मा ने अनावेदक कमलकिशोर के विरुद्ध 05 लाख रुपये का चेक बाउंस हो जोन के कारण प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें न्यायाधीश आदिल अहमद खान के द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश दी गई तथा आपसी सुलह समझौते से राजीनामा कराया गया। अनावेदन द्वारा आवेदकों चैक की सम्पूर्ण राशि 5 लाख रुपये अदा की गई। दोनों पक्ष में एक दूसरे से हाथ मिला कर अपना आपसी बैर को समाप्त किया।